खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक- [illegible] 394/न0नि0

सेवा में,

श्री [illegible] दुबे एवं अन्य पिता- मधुर दुबे एवं अन्य,
[illegible] 2. श्री [illegible] [illegible]
पिता- स्व0 [illegible]
[illegible] धनबाद।

धनबाद, दिनांक- 11/8/16

विषयः- आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु पुरा प्लान केस नं बी0सी0- 632/14-15 संबंधी आपके आवेदन दिनांक 12.12.14 के संदर्भ में।

महाशय,

आपके आवेदन, खतियान संख्या- 7984, 1412, 4620, 6941 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या- 894, 1104/11/14-15, 1855/11/12-13, 502/11/10-11, 3176/11/13-14 जमाबंदी संख्या- 6888, 6783, 6209, 6212, 6834 से निर्गत लगान रसीद वर्ष 14-15 की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी संवर्ग द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन संबंधी बी0सी0 केस नं0- 632/14-15 के नक्शे की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि [illegible]-08 मौजा अन्तर्गत खाता नं0- 74, 120 प्लॉट नं0- 3813, 3814, 3815, 3816, 3817 रकबा 33254.30 वर्गफीट भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता श्री [illegible] की देख-रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे। स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 2 (दो) वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय - समय पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

भवन विनियमन के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भुस्वामित्व का प्रमाण स्थापित नही होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वंय जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य सरकार/नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदन द्वारा उपकर के मद में 1.25% कुल रू0 234,000/- जमा किया गया है। शेष राशि आवेदन द्वारा सहायक श्रमायुक्त धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

स्ट्रक्चर डिजायन, सोयायल टेस्ट रिपोर्ट काम शुरू करने के कपहले या 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ेगा।

प्लीन्थ के निर्माण के बाद आवेदन सुचित करेंगे और अभियन्ता स्थल जाँचकर प्रतिवेदन देंगे,तत्पश्चात ही आगे की निर्माण कार्य जारी रहेगी। साथ ही प्लाम्बिंग और इलेक्ट्रीकल सम्बन्धित नक्शा भवन निर्माण के पूर्ण होते ही निश्चित रूप से जमा कर देंगे।

[signature] 11/08/16

कार्यपालक अभियंता
नगर निवेश विभाग,
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार,
धनबाद।

[initials] 9.7.16 [initials] 9.7.16